

बिहार विधान-सभा-वावचन ।

बुधवार, तिथि १४ सितम्बर १९६६

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १४ सितम्बर १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

सभा नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के द्वादश सत्र (फरवरी—अप्रैल), १९६६ ई० के शेष ९६१ तारांकित प्रश्नों में से १०२ प्रश्नों का *लिखित उत्तर सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

बसों के लिये ठहराव की व्यवस्था ।

६। श्रीमती गिरीश कुमारी सिंह—क्या मंत्री, राजनीति (परिवहन) विभाग, यह बताने

कि कृपा करेंगे कि—

- (१) क्या यह बात सही है कि राज्य परिवहन विभाग की चार-पांचे गाड़ियाँ मुंगेर भिलान्तर्गत बछवाड़ा से गुजरती हैं, पर वहाँ एक भी बस का ठहराव नहीं है ;
- (२) क्या यह बात सही है कि बछवाड़ा से बेगुसराय जाने के लिये एक भी राज्य पथ परिवहन की बस नहीं है ;
- (३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक ह, तो सरकार इस ओर कौन-सा कदम उठाते जा रही है, यदि 'नहीं', तो क्यों ?

*उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखें ।

क्रमांक ।	आपूर्ति निरीक्षक का नाम ।	पद-ग्रहण तिथि ।	अभ्यक्ति ।
१३	श्री बिन्सेन्ट सुरीन ..	३ दिसम्बर १९६५ से	नवनि्युक्त आपूर्ति निरीक्षक ।
१४	श्री मुस्तास जौन एक्का ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
१५	श्री जगदीप उरांव ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
१६	श्री एलोइस डेमरा ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
१७	श्री बरनलड बके ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
१८	श्री हेमचन्द्र सुकुमार मिन्ज ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
१९	श्री सनिका कच्छप ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
२०	श्री मंगा कच्छप ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
२१	श्री पिउस एक्का ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
२२	श्री एलरिक टोपो ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
२३	श्री जौन एलवर्ट मिज ..	२५ नवम्बर १९६५ से	
२४	श्री निकोलश कुल्लू ..	१६ दिसम्बर १९६५ से	
२५	श्री प्रेमराम बैदिया ..	५ जनवरी १९६६ से	

धान की कीमत मिलने में देर

१४७३। श्री पुनाई उरांव—क्या मंत्री, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बताने की कृपा

करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत बजिया प्रखंड के ग्राम कौलासा, अहुरा बघमनी, समतीलया और लतरा ग्रामों के लोगों को यह कहा जाता है कि नोटिस के अनुसार जो धान देना है उसको बिना पूस किये हुये, पंसा नहीं दिया जायगा ;

(२) क्या यह बात सही है कि ग्राम कोलीसा पहार टोटो के श्री बुढ़ा मुंडा, कोनसा सरना टोली के श्री बोहरा मुण्डा, कोनसा सेमरा टोली के श्री मारकस मण्डा और अरहरा चटकपुरा के श्री डोमन मुण्डा ने क्रमशः दिनांक २१ जनवरी १९६६, १९ जनवरी, १९६६ १९ जनवरी १९६६ और २१ जनवरी १९६६ को रामकेश कन्द में धान पहुंचा दिया, यदि हां, तो क्यों इन्हें २३ जनवरी १९६६ तक पंसा नहीं दिया गया था ;

(३) क्या यह बात सही है कि जिस दिन धान दिया जाता है उस दिन पंसा भी किसानों को दे देना है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपर्युक्त व्यक्तियों को उसी दिन पंसा क्यों नहीं दिया गया है और इसके लिये सरकार जिम्मेदार व्यक्तियों पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ; और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुंगेरी लाल—(१) उत्तर नकारात्मक है ।

(२) उत्तर नकारात्मक है । धान देने के दिन ही मूल्य चुका दिया गया था ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) खंड (२) में दिये गये उत्तर के समक्ष यह प्रश्न नहीं उठता है ।